भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA N ICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AC 197926

दास्तावेज ट्रस्ट (न्यास)

डा0 इन्द्रदेव वर्मा एजुकेशनल संस्थान

ग्राम व पोस्ट- गड़वार, जनपद- बलिया (उ0 प्र0)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 18·3·19 को बलिया में श्री विजय प्रकाश वर्मा पुत्र स्व0 इन्द्रदेव वर्मा ग्राम व पोस्ट- गड़वार, जनपद-बलिया (उ0प्र0) द्वारा घोषित किया गया ।

जिन्हे आग्र न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जायेगा क्योकि संस्थापक पर रूपया 10000/- (दस हजार रूपया मात्र) की राशि है। जिसे कि वह पुरूषार्थ एवं सामाजिक कार्यो हेतु दान देने की इच्छा करते हैं। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि का अप्रति सहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक हैं, जो कि समाज एवं सामाजिक उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, समाजिक परिवर्तन एवं मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य करेगा, क्योकि यह डा0 इन्द्रदेव वर्मा एजुकेशनल **संस्थान** के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा जिसे कि आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जायेगा।

१४४४९० ४६४

स्टाम्प क्रय करने ...

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता विजय नारायण शर्मा

... देव वर्मा ...

... पो० ...

गुलाब चन्द ...

स्टाम्प विक्रेता ...

लाइसेन्स की वैधता 31.3.20२२

उप निबन्धक कार्यालय ...

अरुण कुमार वर्मा

मुख्य रोकड़िया

08 MAR 2019

कोषागार ...

उप निबन्धक

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 | FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BM 398909

(2)

क्योकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा जिसे कि आगे ट्रस्ट का प्रबन्धक/निदेशक कहा जा सकेगा। न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वहा विभिन्न स्त्रोतो से धन उपकार, ऋण आदि भी सम्मिलित है जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष संपदा एवं साधनों को और वढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके और न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल 10000/- रू0 (दस हजार रू0) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है। इस ट्रस्ट की प्रारम्भिक नगद पूंजी 10000/- रूपये है। पंजीकृत एवं प्रशासनीय कार्यालय ग्राम व पोस्ट गड़वार, जनपद- बलिया (उ0प्र0) रहेगा एवं प्रशासनिक कार्यालय अधिक सुविधा जनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय का समयानुसार समय-समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा, क्योकि न्यासकर्ता/ ट्रस्टी/ प्रबन्ध/निदेशक द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धारा बंध घोषित किया जाता है।

15-3-19

525

क्र० सं० स्टाम्प विक्रय करने का दिनांक

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन विजय प्रकाश वर्मा पुत्र इन्द्र देव वर्मा ग्राम

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता गड़वार बलिया

स्टाम्प की धनराशि 50/-पचास रुपया

उपरोक्त

रवि शंकर गुप्ता (स्टाम्प विक्रेता)

लाइसेंस नं०-397 अवधि 31-3-20-- तक विधिमान्य

... गड़वार जिला-बलिया

राजकीय स्टाम्प विक्रेता

26 FEB 2019

कोषागार बलिया

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BM 398910

(3)

डा0 इन्द्रदेव वर्मा एजुकेशनल संस्थान

ग्राम व पोस्ट- गड़वार, जनपद- बलिया (उ0 प्र0)
(इण्डिया ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

उद्देश्य एवं नियमावली

(1) ट्रस्ट के उद्देश्य:- ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा।

1. बिना लिंग भेद किये सबके लिए प्राथमिक पाठशाला, जूनियर हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, महाविद्यालय, सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, मडिकल एवं इन्जिनियरिंग कालेज, वाचनालयों, प्रयोगशाला, चिकित्सालयों, वृद्धा आश्रमों, अनुसंधान केन्द्र, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों निराक्षितों, सर्वेक्षण केन्द्रों सामुदायिक विकास केन्द्रों, पर्यावरण, एड्स उत्थान केन्द्रों तथा ऐसे अन्य केन्द्रों जो जनहित में स्थापित, नामकरण, विकास, सम्बद्ध, आवद्ध प्रयन्धक/निदेशक संचालन आदि कर सकता है तथा आवश्यक होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों, प्रतिष्ठानों, संस्थाओं एवं जनहित में कार्य करना आदि से उन्हें मान्य सम्बद्ध आवद्ध पंजीकृत अनुमोदित स्वीकृति करा सकना है।
2. ग्राम विकास अभिकरण की गतिविधियों का संचालन करना।
3. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की योजनाओं का संचालन करना।
4. कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटान रोक कर जल संरक्षण एवं नमी संरक्षण करना।
5. उद्यानीकरण एवं जंगलात का विकास करना।
6. महिला एवं बाल विकास एवं स्वास्थ्य समाज कल्याण बोर्ड एवं निगमों एवं अन्य बोर्डो के सहयोग हेत विविध कार्यक्रम संचालित करना।

Vijay Bahadur Verma

आवेदन सं०: 201900978003043

बही सं०: 4 रजिस्ट्रेशन सं०: 89 वर्ष: 2019

न्यास पत्र

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 1060 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 200 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 100 योग : 300

श्री विजय प्रकाश वर्मा ,
पुत्र श्री स्व० इन्द्रदेव वर्मा
व्यवसाय : कृषि
निवासी: साकिन गड़वार जनपद बलिया

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 18/03/2019 एवं 03:33:17 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

लक्ष्मण चौबे प्रभारी
उपनिबंधक :सदर
बलिया
18/03/2019

बलिया सदर लिपिक
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BM 398911

7. प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं का स्थापना करना।

8. कृषि, संगीत सम्बन्धित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना।

9. समाजिक विकास के लिए समाज कल्याण बोर्ड, नवार्ड, कपार्ट समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड आदि विभागों से अनुदान लेकर शिक्षा एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित योजनाओं का संचालन करना।

10. आई0टी0आई0, फार्मेसी, नर्स-ट्रेनिंग, आपरेशन, टेक्निशियन, लैव टेक्निशयन, फिजियो थीरैपी आदि मेडिकल कालेजों एवं इन्जिनियरिंग कालेजों व अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन करना जो जनहित में हो।

11. समाज के लोगों के लिए हास्पिटल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर किराने की दुकान, फोटो स्टेट, टाइपिंग आदि की व्यवस्था करना।

12. पुस्तकालय, वाचनालय, पत्र-पत्रिकाओं, समाचार पत्रों आदि का प्रकाशन मुद्रण विक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना।

13. अंधे, गूंगे, बहरे व असहाय लोगों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास भोजन आदि की व्यवस्था करना। समाजिक न्याय मंत्रालय के साथ भारत सरकार के सम्बन्धित सभी मंत्रालयों से सम्बन्धित जो संस्थाओं को सौंपे जाते है व सभी कार्य का संचालन करना।

14. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों यथा व्यवहारिक प्रायोगिक, कला, वाणिज्य, वैज्ञानिक, क्रीडा, मार्शल, संगीत, तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक भाषा, अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर, प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।

Vijay Pal Ku

3/18/2019

पृष्टि विलेख 58,59

15-3-19

527 स्टाम्प विक्रय करने का दिनांक
आवेदन सं०: 201900978003... 226
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता
स्टाम्प की धनराशि ५०/-पचास रुपया
उदय शंकर गुप्ता (स्टाम्प विक्रेता)
ला० न०-397 अवधि 31-3-20-- तक विधिमान्य
... ... जिला-बलिया

बही सं०: 4 रजिस्ट्रेशन सं०: 89 वर्ष: 2019

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

26 FEB 2019

26 FEB 2019

न्यासी: 1

श्री विजय प्रकाश वर्मा, पुत्र श्री स्व० इन्द्रदेव वर्मा

निवासी: साकिन गड़वार जनपद बलिया

व्यवसाय: कृषि

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री धनेशर कुमार वर्मा, पुत्र श्री श्यामलाल वर्मा

निवासी: साकिन धरमनपुर पोस्ट बुढऊ जिला बलिया

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता : 2

श्री अरविन्द कुमार सिंह, पुत्र श्री दरोगा सिंह

निवासी: साकिन रामपुर असली पोस्ट बुढऊ जिला बलिया

व्यवसाय: कृषि

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

लक्ष्मण ... प्रभारी
उप निबंधक : सदर
बलिया

बलिया सदर लिपिक
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित

उप निबन्धक सदर बलिया

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BM 398912

15. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धाओं परीक्षाओं में छात्र-छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु एनके अध्ययन, अध्यापन, आवास आदि सुविधाओं की व्यवस्था करना।
16. पुस्तकों, साहित्य, पत्रों, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण, वितरण आदि करना।
17. सांस्कृतिक कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम, अधिवेशन, गोष्ठियों सम्मेलन प्रतियोगिता, बैठकें विशेष कार्यक्रम, विशेष कक्षाएं सत्र् प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित करना।
18. सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्क्रीन प्रिटिंग आदि की शिक्षा एवं व्यवस्था करना।
19. व्यक्ति विशेष अन्य सोसायटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कालेज, इंजिनियरिंग कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित करना एवं उनकों इस ट्रस्ट में समायोजित करना।
20. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त करना अथवा प्रदान करना।
21. विविध सम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार करना।
22. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उनका प्रचार-प्रसार करना।
23. कृषि उपयोगी कार्य कर सकना व उसका प्रचार-प्रसार करना।
24. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना।
25. एड्स के बारे में जनकल्याण करने हेतु प्रचार-प्रसार करना।

528 स्टाम्प विक्रय करने की तिथि 15-2-19

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन 4440 2026

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता

स्टाम्प की धनराशि 50/- पचास रुपया

उदय शंकर गुप्ता (स्टाम्प विक्रेता) 3694 उदयशंकर गुप्ता

ला० न०-397 अवधि 31-3-20- तक विधिमान्य

... गंजस्मार जिला-बलिया

राजकीय स्टाम्प विक्रेता

26 FEB 2019

कोषागार-बलिया

उप निबन्धक

सत्यमेव जयते

सदर-बलिया

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BM 398251

26. पुस्तक, पुस्तिकाओं, पत्र-पत्रिकाओं, समाचार-पत्र को प्रकाशित, सम्पादित, वितरित, ब्रिकी करना।
27. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मूल्य/निर्धारित करना या प्राप्त करना।
28. पत्राचार द्वारा अध्यापन, अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्संविधित आवश्यक व्यवस्थाएं कर करना।
29. उपभोक्ता अधिकार, उसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर जनचेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।
30. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जीर्णोधार करना।
31. जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना तथा क्रियान्वयन कर सकना।
32. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता, स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना।
33. विभिन्न संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/मेडिकल कालेज, इंजिनियरिंग कालेजों, प्रतिष्ठानों के विशेषाधियार प्राप्त यार सकना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान कर सकना।
34. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना, विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्यों में प्रयोग करना।
35. ट्रस्ट जन सामान्य के हितीय कार्य करेगा। ट्रस्ट यथा सम्भव अपनी सेवाए/वस्तुए लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा।

गुलाब चन्द प्रसाद

स्टाम्प विक्रेता

लाइसेन्स की समाप्ति 31.3.20

राजकीय स्टाम्प विक्रेता

05 FEB 2019

कोषागार-बलिया

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BM 398252

36. ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नही करेगा। जनकल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा।
37. ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कलान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा।
38. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु पॉली क्लीनिक का निर्माण करेगा।
39. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों, रासायनिक दवा की जानकारी देना, फल एवं औषधीय खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किए गए माल का आयात एवं निर्यात करना।
40. उपरोक्त सभी कार्यों का क्रियान्वयन करने हेतु देशी विदेशी दानदाता संस्थाओं से दान लेकर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहयोग से सारे कार्यों का सम्पादन करना। संस्था का मुख्य कार्य होगा।

(2) प्रारम्भिक उपबन्ध:-

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनांक से श्री विजय प्रकाश वर्मा जो की न्यासकर्ता एवं इस न्यास विलेख के रचयिता भी हैं को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी प्रबन्धक/निदेशक सुनिश्चित किया जाता है। ट्रस्ट में कुल 11 सदस्य होगें।
2. यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी प्रबन्धक/निदेशक श्री विजय प्रकाश वर्मा द्वारा रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न की तो श्री विजय प्रकाश वर्मा की मृत्यु के पश्चात् इनके विधिक वारिस ट्रस्ट के ट्रस्टी होगें।
3. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक अपने जीवन काल में ही जब चाहें अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारियों को स्थानान्तरित कर सकते हैं।

Vijay Pra Ve

१५१७९८ ...... ४६९

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ......

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ४६५

गुलाब चन्द प्रसाद

स्टाम्प विक्रेता ला०नं० 138/84

लाइसेन्स की नवीनीकरण 31.3.2022

उप निबन्धक कार्यालय ......

राजकीय स्टाम्प विक्रेता

05 FEB 2019

कोषागार-बलिया

कार्यालय उप निबन्धक

सत्यमेव जयते

सदर-बलिया

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BM 398265

(3) मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी/हस्तान्तरणः-

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी/मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक की व्यवस्था कर दें।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक अपने जीवन काल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक का पद किसी को प्रदान कर सकता है।
3. किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेगा जो इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक को प्रदत्त किये गये हैं।
4. मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की अवस्था में मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक पद पर आसीन व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट का भी मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक बनेगा। कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकार अधिनियम की व्यवस्थाओं से मार्ग दर्शन प्राप्त किया जा सकता है।
5. कि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक को चाहिए कि वह अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर कर के व्यक्त कर दें।
6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक अपने जीवनकाल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार कर सकेगा।

स्टाम्प विक्रय तिथि

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता

क्रेता की हस्ताक्षर

गुलाब चन्द प्रसाद

स्टाम्प विक्रेता ला०नं० 138/84

लाइसेन्स की अवधि 31.3.2022

उप निबन्धक कार्यालय

राजकीय स्टाम्प विक्रेता

15 FEB 2019

उप निबन्धक

सत्यमेव जयते

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BM 398266

7. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक तभी अपने उत्तराधिकारी हस्तानान्तरण विषय पर विचार एवं पुनः विचार करने हेतु स्वतंत्र हैं जब तक कि वास्तविक रूप से कार्य भार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दें।
8. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया, कार्यभार हस्तानान्तरण समस्त अधिकारी सहित पूर्ण माना जायेगा।

(4) बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज:-

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक यदि उचित समझें तो विषयों पर विचार विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है, जिसमें कि अधिकतम 11 (ग्यारह) सदस्य होगें।
2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। ट्रस्टी की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही बिना किसी कारण बताए ट्रस्टी के पद से हटा सकता है।
3. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक जब भी उचित समझे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है। जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक स्वयं करेगा।
4. यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टी उन्ही विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनका कि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। इस संदर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक के द्वारा लिया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।

Vijay Kr Ver

१४।२।१९ ४६८

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ... स्टा० नं० ४६८

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ...

... की हस्ताक्षर ...

गुलाब चन्द प्रसाद

स्टाम्प विक्रेता का०नं० 138/84

अनुज्ञप्ति की अवधि 31.3.2022

उप निबन्धक कार्यालय, ...

राजकीय स्टाम्प विक्रेता

15 FEB 2019

कोषागार-बलिया

कार्यालय उप निबन्धक

सत्यमेव जयते

सदर-बलिया

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BM 398267

(5) अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यकाल एवं सुविधाएं:-

1. यह कि अध्यक्ष/ट्रस्टी को ट्रस्टी विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा के स्तर पर सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।
2. यह कि ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक/भत्ते आदि पर यदि कोई आयकर लगता है तो ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अपनी प्राप्त आय से आयकर का भुगतान करेगा। ट्रस्ट इसके लिए उत्तरदायी नही होगा।

(6) कार्य क्षेत्र:-

1. ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा, सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय दे सकता है।

(7) मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषाधिकार:-

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिए गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत कर दें या संशोधन कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई दिशा निर्देश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा।

क्रम सं० सा०१९६ 8600

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता सा०७६८

स्टा० की धनराशि

गुलाब चन्द प्रसाद

स्टाम्प विक्रेता ला०नं० 138/84

लाइसेन्स की वैधता 31.3.2022 तक

का विक्रय कार्यालय, बलिया

राजकीय स्टाम्प विक्रेता

25 FEB 2019

कोषागार-बलिया

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BM 398268

(8) प्रबन्धक/निदेशक की नियुक्तिः-

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक प्रबन्धक/निदेशक एवं आवश्यकता पड़ने पर एक या अधिक उपसचिवों को नियुक्त कर सकेगा।
2. यह कि प्रवन्धक/निदेशक के वेतन भत्ते, सुविधाए, कार्य नियम मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किए जायेगें।
3. यह कि उक्त प्रबन्धक/निदेशक मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेगे। मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष किसी भी समय बिना कोई कारण बताए उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रशासनिक/ विधि/ अनुंशासनात्मक/ प्रशंसात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त पक्षों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

Vijay Ra Ch

१५।३।१९ ... को तिथि ... ५००

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ... ४६५

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ...

... की हस्ताक्षर

गुलाब चन्द प्रसाद

स्टाम्प विक्रेता ला०नं० 138/84

लाइसेन्स की अवधि 31.3.2022

उप निबन्धक कार्यालय,

राजकीय स्टाम्प विक्रेता

15 FEB 2019

कोषागार-बलिया

उप निबन्धक

सत्यमेव जयते

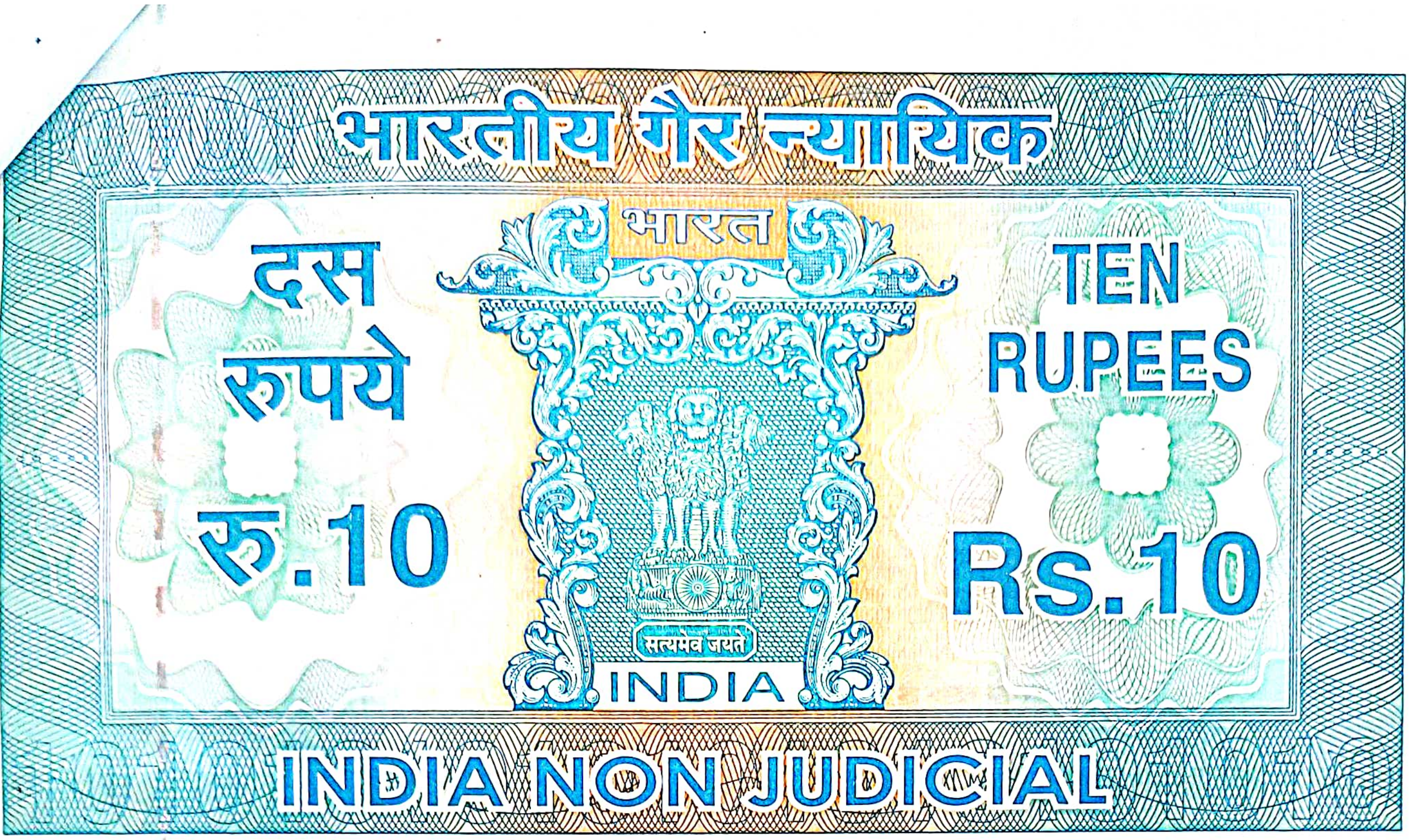

(12)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 73AD 665396

(9) अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्यः-

यह कि ट्रस्ट डीड के अन्तर्गत ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्राप्त विभिन्न अधिकारी एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष/ट्रस्टी के निम्न अधिकार एवं कर्तव्य भी होगें-

1. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।
2. ट्रस्ट के समस्त कार्यों का उत्तरदायी ढंग से देख-रेख करने के लिए उपाध्यक्ष, प्रबन्धक/ निदेशक की नियुक्ति करना।
3. इस ट्रस्ट डीड में उल्लेखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्रीकृत होने की दिनांक से मान्य होगा।

(10) प्रबन्धक/निदेशक के अधिकार एवं कर्तव्यः-

ट्रस्ट के समस्त कार्यों के लिए ट्रस्ट का प्रबन्धक अन्तिम रूप से कार्यरत एवं उत्तरदायी है। ट्रस्ट के प्रबन्धक/निदेशक के निम्न कर्तव्य व अधिकार है-

1. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यो हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति पदमुक्त तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक प्रशासनिक कार्यवाही कर सकना।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाली सभी कार्यकलापों एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना।
3. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यो हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति पदमुक्त तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक प्रशासनिक कार्यवाही कर सकना।

Vijay Ram Ch

१५४३५९ ८०७

स्टाम्प विक्रय की तिथी ....
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन .... [illegible]
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ....

... की धनराशि [illegible]

गुलाब चन्द प्रसाद
स्टाम्प विक्रेता लाइसेंस [illegible]
लाइसेन्स की अवधि 31.3.20२२
उप निबन्धक कार्यालय [illegible]

कार्यालय उप निबन्धक
सत्यमेव जयते
सदर-बलिया

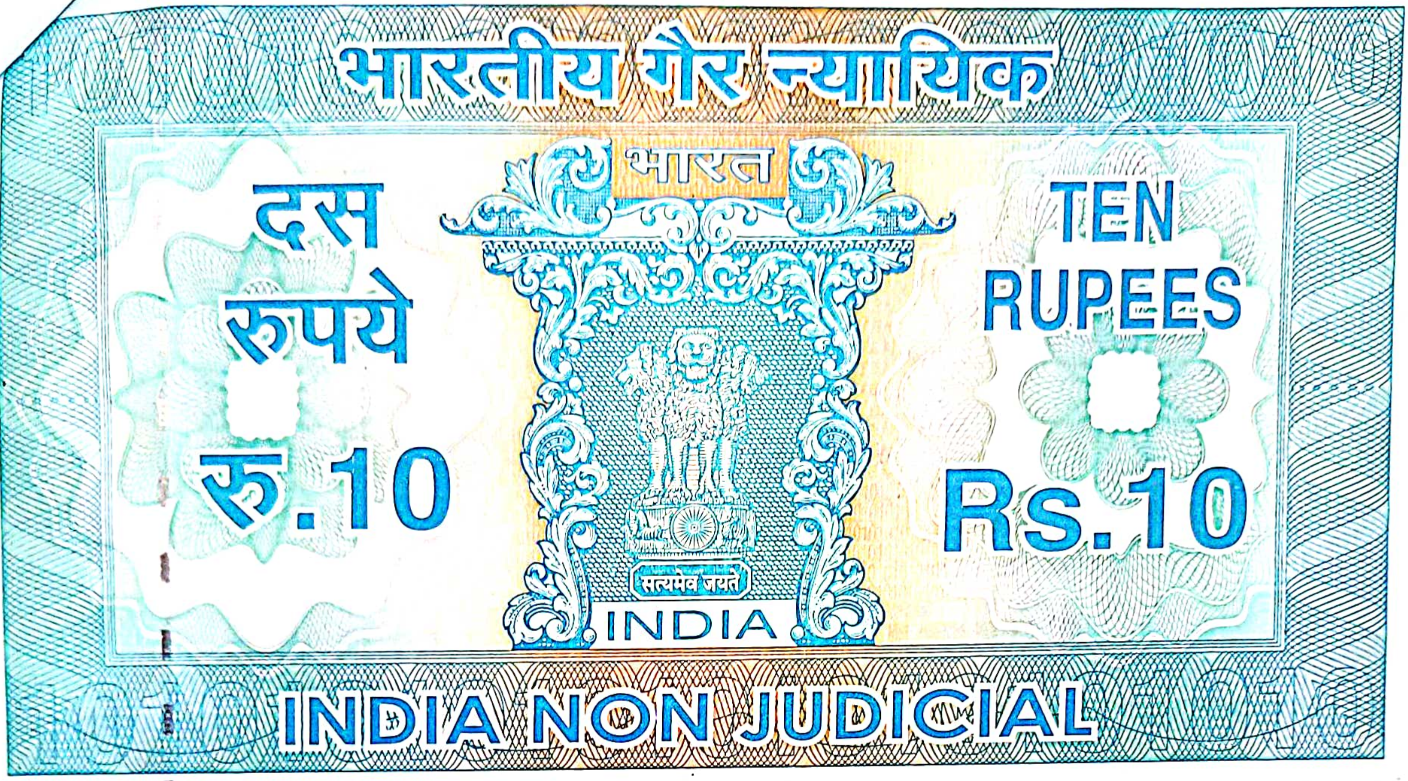

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (13) 73AD 665397

4. विभिन्न कार्यकलापों उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु प्रकोष्ठों/विभागों/केन्द्रों/संस्थाओं, निगमों बोर्डो का गठन ट्रस्टी/अध्यक्ष की अनुमति से कर सकना तथा उनके संयोजकों/निदेशकों, पदाधिकारियों आदि को संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम/उपनियम बना सकना।
5. ट्रस्ट संस्था को प्राप्त किसी शिकायत की जांच निर्णायक नियुक्ति करना।
6. एक से अधिक विशेष कार्याधिकारी नियुक्त होने की स्थिति में उनका कार्य विभाजन कर सकना।
7. प्रचार/प्रसार/मुद्रण/प्रकाशन/वितरण/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।
8. जन सामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजन करना।

(11) बैंक एकाउन्ट:-

1. ट्रस्ट का खाता किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक में खोला जायेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है अथवा संचालित कर सकता है।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित इकाई कार्यरत किसी भी पाठशाला/विद्यालय/ कालेज/महाविद्यालय/संस्थान/अन्य संस्था/केन्द्र/कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोलना एवं संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के प्रबन्धक/निदेशक या उसके द्वारा किये गये निर्देशो के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है अथवा संचालित किया जा सकता है और सारा आय-व्यय का लेखा परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षण से कराया जायेगा।

१२।२।१६ ५८२

स्टाम्प विक्रय की तिथि

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ५६५

... की धनराशि ......

(signature)

गुलाब चन्द प्रसाद

स्टाम्प विक्रेता लाइसेंस ...

लाइसेंस की अवधि 31.3.2023

कर निबन्धक कार्यालय

कार्यालय उप निबन्धक

सत्यमेव जयते

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

73AD 665398

(12) विधिक कार्यवाही:-

1. यदि संस्थान/ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो प्रबन्धक, अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी या स्वयं अन्य को अधिकृत कर सकता है।

(13) सम्पति:-

1. ट्रस्ट चल/अचल सम्पति के सम्वन्ध में वह सभी अधिकृत रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते हैं।
2. ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पति के सम्वन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने, लेख-विलेख बनाने हेतु अध्यक्ष किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।
3. ट्रस्ट का अध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पति के सम्वन्ध में कोई लेख-विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।
4. ट्रस्ट चल/अचल सम्पति क्रय-विक्रय कर सकता है, रेहन रख सकता है, किराये पर दे सकता है और ले सकता है।
5. ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार, भेंट, सम्मान, पुरस्कार, स्मृति चिन्ह मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है।
6. ट्रस्ट धन को कहीं भी विनियोजित का सकता है, सुरक्षित कर सकता है, किसी बैंक, संस्था, कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पति का विनियोजन कर सकता है।
7. चल/अचल सम्पति की प्रतिभूति, भाड़ा, क्रय, अनुज्ञपि, वन्धक, गिरवी, विभाजित आदि का सकता है, ले सकता है, दे सकता है।

Vijay Prakash [signature]

१५।२।१९६ ... विक्रय की तिथि ... क्रम सं० ४८३

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ... रु० ००४६५

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ...

... की धनराशि ... [signature] १५ ...

गुलाब चन्द प्रसाद

स्टाम्प विक्रेता लाइसेंस ...

लाइसेन्स की अवधि 31.3.2022

उप निबन्धक कार्यालय ...

कार्यालय उप निबन्धक

सत्यमेव जयते

...-बलिया

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

भारत

TEN RUPEES

रु.10

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH SAD 665302

क–विद्यालय की पंजीकृत ट्रस्ट का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

ख–विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

ग–विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद्/बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

घ–संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन, नई दिल्ली/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

ड.–संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें।

च–कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

छ–राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

ज–विद्यालय के रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

झ–उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/ परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

१५।३।[illegible]   ५८४

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन   ५६५

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता

स्टाम्प की धनराशि

गुलाब चन्द मिश्र

स्टाम्प विक्रेता लाइसेंस 136/..

लाइसेन्स की वैधता 31.3.2022

उप निबन्धक कार्यालय

कार्यालय उप निबन्धक

सत्यमेव जयते

सदर-बलिया

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 73AD 665400

(14) विशेष:-

यह ट्रस्ट इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अधीन प्रसस्ति होगी।

(क) इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/ कार्यक्रम/ इकाई/कार्यालय/संस्था/संस्थान उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम/उपनियम बनाये जा सकते है, परन्तु यदि यह इस डीड ऑफ डा0 इन्द्रदेव वर्मा एजुकेशनल संस्थान के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्रावधान का अतिक्रमण करते हैं तो यह नियम/उपनियम अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होगें।

(ख) प्रबन्धक/ट्रस्ट यदि उचित समझे तो किसी/किन्हीं परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी/किन्ही प्राविधानों को शिथिल कर सकते हैं तथा प्राविधान/प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते हैं। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का विवेक व्यवस्था ही अन्तिम होगी। इस धारा के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा की गयी कार्यवाही को कही भी किसी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकेगी। डा0 इन्द्रदेव वर्मा एजुकेशनल संस्थान न्यास विलेख एवं उसमें सन्निहित समावेश डा0 इन्द्रदेव वर्मा एजुकेशनल संस्थान के उद्देश्य एवं नियमावली एतद्द्वारा अधिनियम, अनुमोदित, घोषित, आत्मसमर्पित एवं तत्काल से कार्यान्वित की जाती है कि उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये गये।

Vijay Pra Ver

१८।३।९६ ... की तिथि ४८८

... क्रय करने का प्रयोजन ४६५

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ....

... ...

... की धनराशि ....

गुलाब चन्द प्रसाद

स्टाम्प विक्रेता ला०नं० 138/84

लाइसेन्स की अवधि 31.3.2002 ...

उप निबन्धक कार्यालय ...

कार्यालय उप निबन्धक

सत्यमेव जयते

सदर-बलिया

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (17) 73AD 665301

Vijay [illegible]

साक्षी धर्मेन्द्र कुमार वर्मा

पुत्र श्यामलाल वर्मा

ग्राम [illegible] पो० [illegible]

जि०- बलिया

साक्षी [illegible]

पुत्र [illegible]

ग्राम- [illegible]

पो०- [illegible]

टाइपकर्ता [illegible] मनसौदाकर्ता अंजनी कुमार सिंह

सि० को० बलिया

आवेदन सं०: 201900978003043

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 144 के पृष्ठ 267 से 300 तक क्रमांक 89 पर दिनाँक 18/03/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

लक्ष्मण चौबे प्रभारी
उप निबंधक : सदर
बलिया
18/03/2019

कार्यालय उप निबन्धक सत्यमेव जयते सदर-बलिया